BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त विकास पुत्र शिवचरण निवासी म0न0 एस 12 एस्टेंशन गांधी चौक द्वारिका उत्तम नगर दिल्ली द्वारा वर्ष-2022 में एक युवती को गांव से बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 01.08.2022 को थाना अहमदगढ़ पर मुअसं–176/2022 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 25.09.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.01.2025 को न्यायाधीश श्री हरिकेश कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी- 01 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विकास को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा व श्री कुश कुमार का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।